[2021] 10 एस सी आर 234

प्रभागीय वन अधिकारी अवध वन प्रभाग

बनाम

अरुण कुमार भारद्वाज (मृत) व अन्य

(2009 की सिविल अपील सं. 7017)

05 अक्टूबर, 2021

[न्यायमूर्तिगण हेमंत गुप्ता और वी. रामसुब्रमण्यन]

उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950– धारा 4, 117 – भारतीय वन अधिनियम, 1927– धारा 3–6 , 20 — उत्तर प्रदेश का समेकन स्वामित्व अधिनियम, 1953– धारा 48, 49 — वन विभाग द्वारा पट्टेदार के नाम से वन विभाग के राजस्व रिकॉर्ड को सुधारने के लिए शुरू की गई कार्यवाही– आवेदन खारिज– अपील भी खारिज कर दिया गया– पुनरिक्षण में, समेकन के उप निदेशक ने आवेदन को खारिज करने के आदेश को दरकिनार कर दिया और खसरा संख्या 1576 और 1738 के राजस्व में को वन विभाग के नाम पर दर्ज करने का आदेश दिया– पट्टेदारों द्वारा दायर लिखित याचिका, समेकन उप निदेशक द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया– अपील पर अभिनिर्धारित किया गयाः गाँव सभा अपीलार्थी के पक्ष में पट्टा देने के लिए सक्षम नहीं थी– वन विभाग में भूमि एक कानून के तहत प्रकाशित अधिसूचना से निहित– वह पट्टेदार था जिसे एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित में एक समझौते के आधार पर वन भूमि पर स्वामित्व का दावा करना था, लेकिन ऐसा कोई समझौता प्रस्तुत नहीं किया गया था– पट्टेदार केवल राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टि के आधार पर किसी भी अधिकार का हकदार नहीं होगा– राजस्व रिकॉर्ड स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है– उच्च न्यायालय का आदेश अलग रखा गया है जबकि समेकन के उप निदेशक का आदेश बहाल किया गया है।

भारतीय वन अधिनियम, 1927

धारा 5– इसके तहत अपवर्जन की चर्चा ती गई

धारा 4 — आवश्यकताएँ की चर्चा।

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित कियाः 1.1 उन्मूलन अधिनियम की धारा 4 के संदर्भ में प्रकाशित अधिसूचना इस आशय की थी कि उत्तर प्रदेश में स्थित सभी संपदाएं राज्य में निहित होंगी। जिस हद तक असिंचित भूमि जो गाँव समाज में निहित नहीं है, उसका उल्लेख कॉलम 5 में किया गया है जिसमें कहा गया है कि गाँव की 162 एकड़ भूमि कासमंडी खुर्द गाँव समाज में निहित नहीं होगा। इस तरह की अधिसूचना का प्रभाव यह है कि सभी अधिकार, स्वामित्व और हित, उत्तर प्रदेश राज्य में निहित माने जाएंगे। उन्मूलन अधिनियम की धारा 117 के संदर्भ में,

राज्य वनों सहित एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा भूमि को गाँव सभा और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को हस्तांतरित कर सकता है। पक्षकारों का यह मामला नहीं है कि भूमि, जो दिनांक 11.10.1952 की अधिसूचना की विषय वस्तु थी, किसी भी सामान्य या राज्य द्वारा गाँव सभा और/या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकरण के पक्ष में इसे स्थानांतरित करने के विशेष आदेश के अधीन थी। इसलिए, दिनांक 11.10.1952 की अधिसूचना में शामिल भूमि स्पष्ट रूप से राज्य में निहित है। इसके बाद कासमंडी खुर्द में स्थित 162 एकड़ भूमि के संबंध में एक अधिसूचना दिनांक 23.11.1955 प्रकाशित की गई। इस तरह की अधिसूचना अधिसूचना में उल्लिखित सीमाओं के साथ भूमि का वर्णन करती है। इसके बाद, ग्राम कासमंडी खुर्द के खसरा No.1576 की 20 बीघा 13 बिसवा और 10 बिसवांसी सहित 162 एकड़ भूमि के संबंध में वन अधिनियम की धारा 6 के तहत एक और घोषणा प्रकाशित की गई। वन अधिनियम की धारा 4 के तहत किसी भी भूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए राज्य शासन अधिसूचना जारी की जा सकती है, अगर राज्य का इस पर स्वामित्व अधिकार है। 23.11.1955 पर प्रकाशित अधिसूचना में एक घोषणा की गई थी कि 162 एकड़ भूमि का वन भूमि के रूप में गठन किया जाएगा।

वन अधिनियम की धारा 4 का स्पष्टीकरण (1) स्पष्ट करता है कि सड़कों, नदियों, कटकों या अन्य प्रसिद्ध या आसानी से समझने योग्य सीमाओं द्वारा वन की सीमाओं का वर्णन करना पर्याप्त होगा। दिनांकित 23.11.1955 अधिसूचना में चारों ओर की सीमाएँ उल्लिखित हैं। कोई दूसरा नहीं है

वन अधिनियम की धारा 4 के तहत आवश्यकता। यह वन अधिनियम की केवल धारा 6 है जिसमें प्रस्तावित वन की स्थिति और सीमाओं को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। वन अधिनियम की धारा 6 के ऐसे खंड (ए) के संदर्भ में, खसरा संख्याओं का विवरण जो [2021] 10 एस. सी. आर. का हिस्सा थे।

162 इस प्रकार प्रकाशित घोषणा में एकड़ का उल्लेख मिलता है। इसलिए, वैधानिक प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है। इसके अलावा, वन अधिनियम की धारा 20 को पढ़ने से यह नहीं पता चलता है कि आरक्षित वन के लिए अधिसूचना के प्रकाशन की आवश्यकता है, लेकिन धारा 20 के तहत ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए, भले ही वन अधिनियम की धारा 20 के तहत अधिसूचना जारी नहीं की गई हो, वन अधिनियम की धारा 5 के आधार पर, इसके खिलाफ निषेध है। इस तरह की अधिसूचना में शामिल भूमि पर किसी भी अधिकार का अधिग्रहण, इसके द्वारा या उसकी ओर से लिखित रूप में निष्पादित अनुबंध के माध्यम से,

सरकार ने। चूँकि ऐसा कोई लिखित अनुबंध राज्य द्वारा या उसकी ओर से या उस व्यक्ति की ओर से निष्पादित नहीं किया गया था जिसमें ऐसा अधिकार निहित था, इसलिए गाँव सभा ने ऐसा नहीं किया।

अपीलार्थी के पक्ष में पट्टा देने के लिए सक्षम। [पारस 16–18, 22, 24] [247–सी–एच; 248–ए; 249–बी–सी; 250–सी–ई]

यू. पी. राज्य बनाम डी. समेकन निदेशक और अन्य। (1996) 5 एससीसी 194: [1996] 3 पूरक। एस. सी. आर. 191; उत्तराखंड राज्य और अन्य। वी. कुमाऊँ स्टोन क्रश (2018) 14 एस. सी. सी. 537: [2017] 11 एस. सी. आर. 591; प्रह्लाद प्रधान

और ओआरएस। वी. सोनू कुम्हार और ओआरएस, (2019) 10 एससीसी 259

: [2019] 14 स्केल 49–पर भरोसा किया गया।

1.2 फसली वर्ष 1395 से 1400 के लिए छह वार्षिक खतौनी इस प्रभाव के लिए है कि भूमि आरक्षित वन के रूप में वन अधिनियम के अनुसार हस्तांतरण हो गया है। ऐसा राजस्व अभिलेख खसरा सं. 1576 के संबंध में है। यह केवल 1394 फसली से 1395 फसली की अवधि के राजस्व रिकॉर्ड में है, पट्टेदारों के नाम का उल्लेख मिलता है लेकिन बिना किसी आधार के। राजस्व अभिलेख स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। इसलिए, भले ही पट्टेदार का नाम राजस्व रिकॉर्ड में उल्लेख किया गया हो, लेकिन बिना किसी समर्थन के ऐसी प्रविष्टि। वन अधिनियम के तहत अनुध्यात पट्टे के निर्माण के दस्तावेज महत्वहीन हैं और गाँव सभा के पट्टेदार के रूप में पट्टेदार के कब्जे में होने का दावा की गई 12 बीघा भूमि पर कोई अधिकार, स्वामित्व या ब्याज पैदा नहीं करते हैं। उच्च न्यायालय ने समेकन के तहत पट्टेदारों द्वारा दायर और वन विभाग द्वारा की गई आपत्तियों का उल्लेख किया था। उच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि चूंकि वन विभाग द्वारा पहले कोई आपत्ति दायर नहीं की गई थी, इसलिए समेकन अधिनियम की धारा 49 द्वारा आपत्तियों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा।। उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया ऐसा निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत है। एक कानून के तहत प्रकाशित अधिसूचना के आधार पर भूमि वन विभाग में निहित है। यह पट्टेदार ही था जिसे एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित समझौते के आधार पर वन भूमि पर अधिकार का दावा करना था, लेकिन लिखित रूप में ऐसा कोई समझौता नहीं किया गया है। अतः पट्टेदार केवल राजस्व अभिलेख में प्रविष्टि के आधार पर किसी भी अधिकार का हकदार नहीं होगा। उच्च न्यायालय के आदेश को दरकिनार कर दिया जाता है। समेकन उप निदेशक द्वारा दिनांकित 8.7.2004 द्वारा पारित आदेश को बहाल कर दिया गया है। [पारस 27–29] [252–C–G]

मामला कानून संदर्भ

[1996] 3 पूरक। एससीआर 19	उस पर भरोसा करें	पैरा 23
[2017] 11 एससीआर 591	उस पर भरोसा करें	पैरा 25

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील No.7017 2009 .

उच्च न्यायालय के 30.11.2005 दिनांकित निर्णय और आदेश से 2004 की रिट याचिका No.576 (विपक्ष) में इलाहाबाद में न्यायिक कार्य।

रवींद्र रायजादा, वरिष्ठ अधिवक्ता, राजीव कुमार दुबे, आशिवन मिश्रा, कमलेंद्र मिश्रा, अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए।

नौशाद अहमद खान, आफताब अली खान, सुश्री मनीषा चौहान, अली सफीर फारूकी, सैयद इम्तियाज अली, अरविंद कुमार कण्वा, अनिल हुड्डा, जितेंद्र हुड्डा, शफीक अहमद, अजय शर्मा, अनुराग त्रिपाठी, हरिंदर मोहन सिंह, अधिवक्ता उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया थाः

हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ति।

1. वर्तमान अपील में चुनौती इलाहाबाद में उच्च न्यायालय द्वारा 30.11.2005 को पारित एक आदेश के लिए है जिसमें उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिका की अनुमति दी थी।

2. उच्च न्यायालय ने विवादित आदेश को दरकिनार कर दिया है समेकन उप निदेशक, लखनऊ द्वारा पारित दिनांक 08.07.2004 आदेश, जिसमें, खसरा संख्या की राजस्व प्रविष्टि। 1576 और 1738 को वन विभाग के नाम पर ठीक करने का आदेश दिया गया और प्रतिद्वंद्वी दावेदारों के दावे को दरकिनार कर दिया गया।

3. उत्तर प्रदेश ज़मीनदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4 के तहत 11.10.1952 दिनांकित एक अधिसूचना उत्तर प्रदेश एट्टे दिनांकित 18.10.1952 में प्रकाशित किया गया था, इस प्रभाव के लिए कि 162 एकड़ का क्षेत्र जी कासमंडी खुर्द गाँव समाज के साथ निहित नहीं होगा। प्रासंगिक अधिसूचना का समगत पैरा इस प्रकार हैः

" सं. 617 xIV– उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 1951 का यू. पी. अधिनियम 1) की धारा 117 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्यपाल यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि नवंबर, 1952 के पहले दिन से

1. सभी भूमि, चाहे वह खेती योग्य हो या अन्यथा सिवाय एसी भूमि जो इस समय किसी भी होल्डिंग या ग्रोव में शामिल हो, और

2. गाँव की सीमाओं के भीतर सभी जंगल।

जो एक वृत्त में स्थित है और उक्त अधिनियम द्वारा राज्य में निहित है अनुसूचियों भूमि । और ।। में दिखाए गए अपवादों के अधीन, सर्कल द्वारा निर्मित गाँव समाज में निहित होगा।

अनुसूची ।

असिंचित भूमि का विवरण और वे किस हद तक गाँव समाजों में निहित नहीं होगें

जिला तहसील

परगना गाँव

जिस हद तक

खेती न की गई भूमि

(सीमांकित होने के

लिए

निहित नहीं होगा)

1

2

3

4

5

लखनऊ बिजनौर

1. XXX XXX XXX

XXX XXX XXX

162

19. कासमंडी खुर्द

4. उन्मूलन अधिनियम के प्रावधान, जो वर्तमान अपील के लिए प्रासंगिक हैं, का पाठ इस प्रकार हैः –

" 4. राज्य में संपदाओं का निहित होना। – (1) जितनी जल्दी हो सके इस अधिनियम के प्रारंभ में, राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा घोषणा करें कि, निर्दिष्ट की जाने वाली तारीख से, सभी संपदाएँ उत्तर प्रदेश में स्थित राज्य में निहित होगा और इस प्रकार निर्दिष्ट तिथि की शुरुआत (जिसे इसके बाद की निहित तारीख कहा जाएगा)), ऐसी सभी संपदाएँ हस्तांतरित और निहित होंगी, सिवाय इसके कि जैसा कि इसके बाद प्रावधान किया गया है, राज्य में सभी बाधाओं से मुक्त होगीं।

संक्षेप में, 'उन्मूलन अधिनियम' अभगिया वान अधिकरी अवध वान प्राग बनाम। अरुण जमार भारद्वाज (मृत) टीएचआर। एलआरएस। [हेमंत गुप्ता, जे।]

उप–धारा (1) में केवल ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के संबंध में जो हो सके विनिर्दिष्ट और उप–धारा (1) के सभी प्रावधान लागू होंगे।

ऐसी प्रत्येक अधिसूचना के लिए और उसके मामले में।

5. राजपत्र में प्रकाशित की जाने वाली अधिसूचना। – अधिसूचना धारा 4 में निर्दिष्ट राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और इस प्रकार प्रकाशन उसके उचित प्रकाशन का निर्णायक प्रमाण होगा।

6. राज्य में किसी संपत्ति के निहित होने के परिणाम– कब धारा 4 के तहत अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की गई है, तब, किसी अनुबंध में कुछ भी निहित होने के बावजूद या दस्तावेज़ या उस समय लागू किसी अन्य कानून में और बचाएँ जैसा कि इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान किया गया है, इसके बाद के परिणाम निहित करने की तारीख की शुरुआत से, यह सुनिश्चित करेगा कि वह क्षेत्र जिससे अधिसूचना संबंधित है, अर्थात्:

(क) सभी मध्यस्थों के सभी अधिकार, अधिकार और हित

(i) भूमि (खेती योग्य या बंजर) सहित ऐसे क्षेत्र की प्रत्येक संपत्ति में, ग्रोवलैंड, जंगल चाहे गाँव की सीमाओं के भीतर हों या बाहर, वृक्ष (गाँव के आबादी में पेड़ों के अलावा, होल्डिंग या ग्रोव), मत्स्य पालन, टैंक, तालाब, जलमार्ग, नौकाएँ, मार्ग, आबादी स्थल, टोपियाँ, बाजार और मेले [टोपी, बाजार और मेलों के अलावा आयोजित किए जाते हैं और

(ii) खानों में अधिकार, यदि कोई हो, सहित ऐसी संपदाओं में सभी उप–मिट्टी में और खनिज, चाहे काम किया जा रहा हो या नहीं,

समाप्त हो जाएगा और उत्तर प्रदेश राज्य में सभी बाधाएं से मुक्त निहित किया जाएगा;

XX

XX XX

5. इस प्रकार यह तर्क दिया जाता है कि उन्मूलन की धारा 4 के संदर्भ में वन सहित सभी मध्यस्थों के सभी अधिकार, अधिकार और हित उत्तर प्रदेश राज्य में निहित थे। आई. टी. ए. एन. अधिनियम की धारा 117 के संदर्भ में, सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा स्थानीय प्राधिकरणवन की भूमि गाँव सभा या किसी भी क्षेत्र में निहित हो सकती है। उन्मूलन अधिनियम की धारा 117 इस प्रकार है:

" 117. गाँव सभाओं और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों में कुछ भूमि आदि का निहित होना। – 1) धारा 4 में निर्दिष्ट अधिसूचना के प्रकाशन के बाद किसी भी समय, राज्य सरकार, सामान्य रूप से या निर्धारित तरीके से प्रकाशित किए जाने वाले विशेष आदेश कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाने वाली तिथि से निम्नलिखित सभी या कोई भी बात, अर्थात्:

(i) भूमि, चाहे खेती योग्य हो या अन्यथा, के लिए भूमि को छोड़कर समय किसी भी होल्डिंग या ग्रोव में शामिल हो:

(ii) जंगल;

(iii)पेड़ों के अलावा, एक पकड़ में या एक की सीमा पर पेड़ पकड़ना या उपवन या आबादी में;

(iv) मत्स्य पालन;

(v) टोपी, बाजार और मेलों को छोड़कर टोपी, बाजार और मेले जिन भूमि पर खंड (क) से खंड (ग) के प्रावधान हैं, धारा 18 की उप–धारा (1) साइटों और धारा 9 में निर्दिष्ट क्षेत्रों पर लागू होती है; और

(vi) तालाब, निजी नौकाएँ, जलमार्ग, मार्ग और अबादी स्थल,

जो इस अधिनियम के तहत राज्य में निहित था, वह गाँव में निहित होगा। सभाएँ या संपूर्ण के लिए स्थापित कोई अन्य स्थानीय प्राधिकरण या

गाँव का वह भाग जिसमें उक्त चीजें स्थित हैं, या ऐसे किसी स्थानीय प्राधिकरण (गाँव सभा सहित) में आंशिक रूप से दूसरे में पक्षकारः बशर्ते कि यह राज्य सरकार के लिए विधिसम्मत होगा – शर्तें जो ऐसे क्रम में निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

6. यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार द्वारा 162 एकड़ भूमि के किसी भी हिस्से के गाँव सभा में निहित करने के लिए कोई सामान्य या विशेष आदेश नहीं दिया गया है।

7. यह 23.11.1955 पर, भारतीय वन अधिनियम, 1927 3 की धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की गई थी। उक्त अधिसूचना के माध्यम से, आपत्तियाँ अधिसूचना का हिस्सा बनने वाली भूमि के संबंध में आमंत्रित किया गया। द. अधिसूचना का चींटी उद्धरण इस प्रकार हैः

यु.पी. सरकार

वन विभाग

विविध।

23.11.1955

6828 / 1–806–55 –

भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 (भारतीय वन अधिनियम की धारा संख्या 16) के तहत शक्तियों के अनुसार महामहिम राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित भूमि संरक्षित वन घोषित की गई है –

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 उप–धारा 1 (सी) के अनुसार, संबंधित उप–मंडल अधिकारी को वन निपटान अधिकारी और अतिरिक्त आयुक्त, लखनऊ नियुक्त किया जाता है जो प्रभाग अधिनियम की धारा 17 के तहत वन निपटान अधिकारी के आदेश के विरुद्ध आपत्तियाँ प्राप्त करने के लिए सशक्त होगा।

क्षेत्र का विवरण

एस. नं. तहसील का नाम

पश्चिम

में से

परगना क्षेत्र में

में से

पूरब

उत्तर

दक्षिण

एकड़ लिया गया।

के अनुसार

स्थान

एकड़।

को

राजपत्र

48

कास्म मलिहाबाद मलिहाबाद 162

अमानीगंज रेलवे कृषि बंजर लाइन बंजर

ई खेत और खेत

एंडी

भूमि और भूमि नहर

खुर्द

कृषि कृषि

क्षेत्र

क्षेत्र

8. उक्त अधिसूचना के बाद, की धारा 6 के तहत एक घोषणा वन अधिनियम 28.04.1968 पर लागू किया गया था। प्रकाशन के बाद घोषणा का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

सीमाओं का

विवरण

जिला।

तहसील

एकड़ में परगना गाँव क्षेत्र

खसरा

क्षेत्र में

नहीं।

बीघा

लखनऊ मलिहाबाद मलिहाबाद कासमंडी

XXX

खुर्द

XXX

XXX

1576

20.13.10

XXX

XXX

XXX

(57)

259 4.15

1

62 एकड़।

उत्तर–

अराजी मजरुबा

दक्षिण

सरहर मौजा

मधुर

सतवाल

मजरुबा

ईस्ट–सदक

पश्चिम–

सरहर मौजा

9. एन. टी. अपील के लिए प्रासंगिक भारतीय वन अधिनियम, 1927 का उद्धरण इस प्रकार हैः

" 3. वनों को संरक्षित करने की शक्ति। राज्य सरकार कर सकती है किसी भी वन–भूमि या बंजर भूमि का गठन करता है जो सरकार की संपत्ति है या जिस पर सरकार का स्वामित्व अधिकार है, या पूरे या वन–उत्पाद के किसी भी हिस्से के लिए जिसका सरकार हकदार है, एक आरक्षित वन है।

प्रदान किया गया।

4. राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना। – (1) जब भी ऐसा हुआ है राज्य ने किसी भी भूमि को आरक्षित वन बनाने का निर्णय लिया सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करेगी। (क) यह घोषणा करते हुए कि ऐसी भूमि का गठन करने का निर्णय लिया गया है आरक्षित वन, वन निपटान–अधिकारी। (3) इस धारा की कोई भी बात राज्य सरकार को तीन से अधिक अधिकारियों की नियुक्ति करने से नहीं रोकेगी। जिनमें से एक से अधिक वन धारण करने वाले व्यक्ति होंगे। कार्यालय, जैसा कि ऊपर कहा गया है, के अलावा, एक फोर के कर्तव्यों का पालन करने के लिए निपटान–इस अधिनियम के तहत अधिकारी।

5. वन अधिकारों के संचय पर रोक। – धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी होने के बाद, ऐसी अधिसूचना में शामिल भूमि में या उस पर कोई अधिकार अर्जित नहीं किया जाएगा, सिवाय उत्तराधिकार द्वारा या अभगिया वन अधिकारी वन प्रबग v द्वारा या उसकी ओर से किए गए या किए गए लिखित अनुदान या अनुबंध के तहत।

6. वन निपटान अधिकारी द्वारा घोषणा–– जब धारा 4 के तहत एक अधिसूचना जारी की जाती है, तो वन निपटान अधिकारी उसमें शामिल भूमि के पड़ोस में हर शहर और गांव में स्थानीय भाषा में एक घोषणा प्रकाशित करेगा। (

क) यथासंभव प्रस्तावित वन कि स्थिति और सीमाओं को निर्दिष्ट करना;

(ग) ऐसी घोषणा की तारीख से कम से कम तीन महीने की अवधि तय करना, और किसी भी अधिकार का दावा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता धारा 4 या धारा 5 में उल्लिखित ऐसी अवधि के भीतर या तो वन निपटान अधिकारी को एक लिखित सूचना प्रस्तुत करने के लिए जिसमें निर्दिष्ट किया गया हो या उसके सामने पेश होने के लिए और ऐसे अधिकार की प्रकृति और उसके संबंध में दावा किए गए मुआवजे (यदि कोई हो) की राशि और विवरण बताए गए हों।

XXX XXX XXX

20. वन को आरक्षित घोषित करने की अधिसूचना। – (1) जब निम्नलिखित घटनाएँ घटित हुई हों, अर्थात्ः

(क) दावों को प्राथमिकता देने के लिए धारा 6 के तहत निर्धारित अवधि बीत चुकी है और उस धारा या धारा 9 के तहत किए गए सभी दावों का वन निपटान अधिकारी द्वारा निपटारा कर दिया गया है;

(ख) यदि ऐसे कोई दावे किए गए हैं, तो ऐसे दावों पर पारित आदेशों से अपील करने के लिए धारा 17 द्वारा सीमित अवधि समाप्त हो गई है, और ऐसी अवधि के भीतर प्रस्तुत सभी अपीलों (यदि कोई हो) का निपटारा अपीलीय अधिकारी या न्यायालय द्वारा किया गया है।

(ग) प्रस्तावित वन में शामिल की जाने वाली सभी भूमि (यदि कोई हो), जिसे वन निपटान अधिकारी ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (1894 का 1) के तहत अधिग्रहित करने के लिए धारा 11 के तहत चुना है, उस अधिनियम की धारा 16 के तहत सरकार में निहित हो गई है, राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित करेगी, जिसमें निश्चित रूप से, बनाए गए सीमा–चिह्न [2021] 10 एस. सी. आर. के अनुसार निर्दिष्ट किया जाएगा। द्वारा निर्धारित तिथि से उसी को आरक्षित घोषित करना अधिसूचना।

(2) इस प्रकार निर्धारित तिथि से ऐसे वन को आरक्षित वन माना जाएगा "।

10. ऐसा प्रतीत होता है कि स्थानीय प्रबंधन समिति (गाँव सभा) 20 बीघा 13 बीघा और 10 बीघा के खसरा सं. 1576 के हिस्से के रूप में पट्टेदारों को 7 बीघा जमीन 15.05.1966 पर और अन्य 5 बीघा जमीन 26.12.1966 पर अपने कब्जे में ले लिया था। पट्टा देने के इस तरह के कार्य को वन विभाग द्वारा चुनौती दी गई थी लेकिन यह जारी रहा। दिनांकित 19.12.1969 आदेश के माध्यम से असफल। उप–मंडल अधिकारी, मोहन लाल गंज, लखनऊ द्वारा पारित इस तरह के आदेश को अतिरिक्त आयुक्त, लखनऊ मंडल द्वारा 22.07.1970 पर रद्द कर दिया गया था। पट्टेदार द्वारा राजस्व बोर्ड के समक्ष दायर किए गए आगे के संशोधन को खारिज कर दिया गया था, लेकिन दिनांक 1 के आदेश के संदर्भ में, स्थानीय प्रबंधन समिति को शामिल करने के बाद एक नया निर्णय लिया जाना था, जिसने गाँव सभा की ओर से पट्टेदार को पट्टा दिया था। अतिरिक्त आयुक्त द्वारा रिमांड के परिणामस्वरूप क्या हुआ, इसके बारे में रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं है। जैसा कि राजस्व बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई है।

11. छह वर्षों के खतौनी में 1380 फसली से 1388 फसली की अवधि के लिए, बंजर भूमि जिसे खेती योग्य बनाया जा सकता था, जिसमें खसरा नं. 1576 इन्हें गाँव सभा गाँव कासमंडी खुर्द के नाम से वन विभाग में स्थानांतरित किया गया था।

" छह साल का खतौनी

गाँवः कासमंडी खुर्द परगना और तहसील मलिहाबाद जिला।

लखनऊ वर्षः
1380 फसली वर्ष से लेकर 1388 फसली तक

परिवर्तनों के किसी भी आदेश के देय संक्षिप्त में क्षेत्र, सं।
टिप्पणियाँ

एस. नंबर ऑफ नेम ऑफ ईयर स्टार्ट खसरा

खतेदार फ़िकल

नहीं। लगान या तारीख में हेक और खतौनी का नाम और पद और प्रत्येक भूखंड बीघा मालगुजारी जारी करने वाले अधिकारी द्वारा सत्यापित खाता

पिता का।

(बैंड)

पंजीयक कामुंगो

नाम

1383 84 85 86 87 88

8 9 10 11 12 13

7

3

4

श्रेणी 2 संक्रांति भुओमी दार के रूप में

श्रेणी

खतौनी में उल्लिखित सभी भूखंड

18 के.

(कृशी

ग्राम समाज के नाम से स्थानांतरित,

योग्या

5 प्लॉट

बंजार)

सं. 6 से

गाँव कासमंडी खुर्द, विभाग को

बंजर।

1568

जंगल।

एन. ए

बनाया गया।

खेती योग्य

1579 एन. ए. तक।

12. कि फसली वर्ष 1395 से 1400 के लिए छह वार्षिक खतौनी जारी किया गया था जिसके द्वारा जारी खसरा नं. 1576 संरक्षित वन के रूप में वन में स्थानांतरित कर दिया गया था। खतौनी से प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

" इंटखाब सिक्स ईयरली खातौनी

विलेज कास्मंडी खुर्द, परगना और तेहसिल,

मलीहाबाद,

जिला। लखनऊ, वर्ष 1395 से 1400

प्लॉट नं. क्षेत्र

जानकारी

अवैध है।

वर्ष का खतौनी नाम

स्वामित्व

के बारे में

नहीं।

भूमि

में परिवर्तन करें

मालिक

स्वामित्व

द्वारा प्रविष्ट किया गया
कोई भी अधिकारी

1395 , 1396 ,

1397 , 1398 , 1399 , 1400

श्रेणी 5 बंजर भूमि लेकिन खेती योग्य बनाई जा सकती है (कृषि योग बंजर) –

वन अधिनियम के अनुसार भूमि को संरक्षित वन के रूप में हस्तांतरित किया गया है।

विभाग. में से

1576

20.13.10

881

जंगल।

13. वर्ष 1407 फसली से 1412 फसली तक के लिए तैयार किया गयाखतौनी में पहली बार पट्टेदार का नाम आता है, जिसमें पट्टेदार का कब्जा 12 बीघा भूमि के संबंध में 1394 फसली से 1395 फसली तक दर्ज किया गया था।

" छह साल का खतौनी

इंतिखाब खतौनी

गाँवः कासमंडी खुर्द परगना और तहसील मलिहाबाद जिला।

लखनऊ

वर्षः 1407 फसली वर्ष से फसली 1412 तक

वर्ष के नाम की एस. संख्या शुरू खसरा क्षेत्र किसी का भी देय संक्षिप्त विवरण

टिप्पणियों का क्रम

खतेदार फ़िकल

लगान या परिवर्तन, नहीं। और तारीख और

खाता

नहीं। में से

हेक मालगुजारी नाम और जारी करने का पद

खतौनी और प्रत्येक पर अधिकार

पंजीयक द्वारा सत्यापित

अधिकारी

पिता का।

प्लॉट

में

बीघा

कानुंगो

नाम

(बैंड)

7 8 9 10 11 12 13

1

3

4

2

भोमीदार

श्रेणी 2 संक्रांति के रूप में

295

ब्रिज

से

1576 / ए 7

मोहन 1394 से और

एस/ओ

1395

1576 / ए 5

काकरम

2

आर/ओ

दा ली गंज

लखनऊ

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

14. इसके बाद, वन विभाग द्वारा यू. पी. होल्डिंग्स के समेकन अधिनियम, 19534 के तहत पट्टेदार के नाम से वन विभाग के राजस्व रिकॉर्ड को सुधारने के लिए कार्यवाही शुरू की गई। इस तरह का आवेदन 22.07.1993 पर खारिज कर दिया गया था। उक्त आदेश के खिलाफ अपील खारिज कर दी गई। उप निदेशक समेकन ने समेकन अधिनियम की धारा 48 के तहत एक संशोधन में, 08.07.2004 दिनांकित आदेश के माध्यम से, 22.07.1993 दिनांकित आदेश को रद्द कर दिया। उप निदेशक ने 28.02.2004 पर अपने आदेश में कहाः

इस संबंध में यह स्पष्ट है जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि वन विभाग द्वारा गाँव में भूमि विवादित प्लॉट सं सहित के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई जिसकी प्रति सभी विभागों को भेजी जाती है। इसलिए अभिलेखों में प्रविष्टि करते समय इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए और यह तदनुसार भी किया गया है। चूंकि विवादित भूमि को विभाग के नाम से अधिसूचित किया गया है। वन संरक्षण ताकि भूमि का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सके और ऐसी स्थिति में भूमि के पट्टा का अनुदान अपनी प्रासंगिकता खो देता है। यदि विरोधी पक्ष के पिता को अनियमित आधार पर पट्टा भूमिदारी मिला है, तो इसका कोई महत्व नहीं है। चकबंदी अधिकारी और अतिरिक्त बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने तथ्यों को तोड़–मरोड़ कर पेश किया है और सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और वन विभआग और विरोधी पक्षों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है जो बेहद आपत्तिजनक है।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि चकबंदी अधिकारी और सहायक। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी ने विभाग का दावा पूरी तरह से अनदेखी की था। विवादित की अधिसूचना के संबंध में वन भूमि उनके पक्ष में थी और बिना किसी कारण के उनका नाम हटा दिया था और भूमि मालिकों के पक्ष में भूमि प्राप्त कर ली थी। अधिकारियों का उपरोक्त कार्य दंडनीय अपराध है क्योंकि इससे सरकार की संपत्ति को नुकसान होता है। मेरी राय में उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। विवादित भूखंड को विभाग के नाम से अधिसूचित किया गया है। वन और प्रवेश संख्या। 88 इस तरह के प्रभाव को बिना किसी हस्तक्षेप के जारी रखना होगा और दोहरी प्रविष्टियों को छोड़ा/रद्द किया जाना चाहिए। अपील के अनुसार अनुमति का अधिकार है।

आदेश

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अपील एतद्द्वारा स्वीकार की जाती है। चकबंदी अधिकारी का आदेश दिनांक 22.7.93 और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी दिनांक 28.2.2004 को इसके द्वारा अलग रखा जाता है। क्षेत्र डी. ओ./13/10 का प्लॉट सं. 1576 और क्षेत्र का प्लॉट सं. 1738। 1 बीघा, प्लॉट नं. 868/1830 क्षेत्र 2–4–0 प्रविष्टि सं। 881 विभाग के पक्ष में। वन और अन्य भूमि मालिकों का दावा इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है। केस फाइल को रिकॉर्ड रूम में भेज दिया गया।

15. यह वह आदेश है जिसे उच्च न्यायालय ने पट्टेदारों द्वारा दायर रिट याचिका में दरकिनार कर दिया था।

16. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने उप निदेशक द्वारा पारित आदेश को रद्द करने में गंभीर गलती की है क्योंकि ऐसा करने का कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार नहीं था। उन्मूलन अधिनियम की धारा 4 के संदर्भ में प्रकाशित अधिसूचना इस आशय की थी कि उत्तर प्रदेश में स्थित सभी संपदाएं राज्य में निहित होंगी। जिस हद तक असिंचित भूमि जो गाँव समाज में निहित नहीं है, उसका उल्लेख कॉलम 5 में किया गया है जिसमें कहा गया है कि गाँव की 162 एकड़ भूमि कासमंडी खुर्द गाँव समाज में निहित नहीं होगा। इस तरह की अधिसूचना का प्रभाव है कि सभी अधिकार, स्वामित्व और हित, उत्तर प्रदेश राज्य में निहित माने जाएंगे। उन्मूलन अधिनियम की धारा 117 के संदर्भ में, राज्य वनों सहित एक सामान्य या विशेष आदेश द्वारा भूमि को गाँव सभा और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों को हस्तांतरित कर सकता है। यह किसी भी पक्ष का मामला नहीं है कि भूमि, जो दिनांक 11.10.1952 की अधिसूचना का विषय थी, राज्य द्वारा किसी भी सामान्य या विशेष आदेश के अधीन थी कि उसे पक्ष में हस्तांतरित किया जाए गाँव सभा और/या कोई अन्य स्थानीय प्राधिकरण। इसलिए, दिनांक 1 की अधिसूचना में शामिल भूमि स्पष्ट रूप से राज्य के पास निहित है।

17. इसके बाद कासमंडी खुर्द में स्थित 162 एकड़ भूमि के संबंध में एक अधिसूचना प्रकाशित की गई। इस तरह की अधिसूचना में उल्लिखित सीमाओं वाली भूमि का वर्णन किया गया है

अधिसूचना। इसके बाद, ग्राम कासमंडी खुर्द के खसरा सं. 1576 की 20 बीघा 13 बिसवा और 10 बिसवांसी सहित 162 एकड़ भूमि के संबंध में वन अधिनियम की धारा 6 के तहत एक और घोषणा प्रकाशित की गई। वन अधिनियम की धारा 4 के तहत किसी भी भूमि को आरक्षित वन घोषित करने के लिए अधिसूचना जारी की जा सकती है यदि राज्य के पास इस पर स्वामित्व अधिकार हैं। ऐसी भूमि या यदि वह अपनी उपज का हकदार है।

18. राज्य सरकार के पास संरक्षित वन घोषित करने का अधिकार क्षेत्र है यदि भूमि सरकार की संपत्ति है जिस पर उसका स्वामित्व है। अधिकारों का प्रयोग किया जाता है। आई. डी. 1 की अधिसूचना के अनुसार 162 एकड़ भूमि सरकार की संपत्ति थी। वन अधिनियम की धारा 4 के तहत राज्य सरकार किसी भी भूमि को आरक्षित वन के रूप में गठित करने के लिए अधिसूचना जारी कर सकती है। 23.11.1955 की अधिसूचना उप–धारा में उल्लिखित तीन शर्तों को पूरा करती है। 4 अर्थात, (i) आरक्षित वन के रूप में ऐसी भूमि का गठन करने का निर्णय, (ii) ऐसी भूमि की स्थिति और सीमाएँ, और (iii) ऐसी सीमाओं के भीतर शामिल किसी भी भूमि में या उस पर किसी व्यक्ति के पक्ष में कथित रूप से मौजूद किसी भी अधिकार के अस्तित्व, प्रकृति और विस्तार की जांच करने और निर्धारित करने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति। 23.11.1955 पर धारा 4 के तहत ऐसी अधिसूचना जारी होने के समय पट्टेदारों के पास भूमि के किसी भी हिस्से का कब्जा नहीं था। इसलिए, उन्होंने संपत्ति पर किसी भी अधिकार का दावा नहीं किया है और न ही गाँव सभा ने अधिसूचित 162 एकड़ भूमि पर किसी भी अधिकार का दावा किया है। अधिनियम की धारा 4 के तहत।

19. वन अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है कि कोई अधिकार अर्जित नहीं किया जाएगा। वन अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना में शामिल भूमि में या उसके ऊपर, उत्तराधिकार द्वारा या सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए या किए गए लिखित अनुदान या अनुबंध के तहत। वन अधिनियम की धारा 4 के तहत एक बार अधिसूचना प्रकाशित होने के बाद, गाँव सभा द्वारा पट्टेदार के पक्ष में इस प्रकार अधिसूचित भूमि में अधिकार का कोई हस्तांतरण नहीं हो सकता था।

20. इसके बाद, वन अधिनियम की धारा 6 के तहत एक घोषणा जारी करने की आवश्यकता थी, जिसे हर क्षेत्र में स्थानीय भाषा में प्रकाशित किया जाना था। सं. 1576। इस तरह की खसरा संख्या अधिनियम की धारा 4 के तहत घोषित कुल वन भूमि का हिस्सा है, जिसका क्षेत्रफल 162 एकड़ है। प्रकाशन की घोषणा इलाके में प्रकाशित की गई थी लेकिन गाँव सभा सहित किसी ने भी भूमि को वन क्षेत्र घोषित करने पर आपत्ति नहीं जताई। 21. पट्टेदार के विद्वान वकील श्री खान और गाँव सभा के विद्वान वकील श्री हुड्डा ने जोरदार तर्क दिया कि जिस भूमि के संबंध में वन अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी की गई थी, उसका विवरण उल्लेख नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि कुल क्षेत्रफल 162 एकड़ है। यह तर्क दिया गया कि ऐसी अधिसूचना अस्पष्ट है और वन अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट शर्तों का पालन नहीं करती है। वन अधिनियम की धारा 6 के तहत प्रकाशित घोषणा में ही खसरा सं. 1576 का उल्लेख किया गया था।

22. हम श्री खान और श्री हुड्डा द्वारा उठाए गए तर्क में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। 23.11.1955 पर प्रकाशित अधिसूचना में, एक प्रग्या वन अधिकारी अवध वन प्राग v था। घोषणा की कि 162 एकड़ भूमि वन भूमि होगी। वन अधिनियम की धारा 4 का स्पष्टीकरण (1) स्पष्ट करता है कि सड़कों, नदियों, पहाड़ों या पहाड़ों द्वारा वन की सीमाओं का वर्णन करना पर्याप्त होगा। अन्य सुविख्यात या आसानी से समझने योग्य सीमाएँ। दिनांकित 23.11.1955 अधिसूचना में चारों ओर की सीमाएँ उल्लिखित हैं। वन अधिनियम की धारा 4 के तहत कोई अन्य आवश्यकता नहीं है। यह वन अधिनियम की केवल धारा 6 है जिसमें प्रस्तावित वन की स्थिति और सीमाओं को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। वन अधिनियम की धारा 6 के ऐसे खंड (ए) के संदर्भ में, खसरा संख्या का विवरण जो 162 एकड़ का हिस्सा था, इस प्रकार प्रकाशित घोषणा में उल्लेख किया गया है। इसलिए, वैधानिक प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है।

23. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने एक निर्णय को संदर्भित किया यू. पी. बनाम राज्य के रूप में सूचित। डी. समेकन निदेशक और अन्य जिसमें वन अधिनियम की धारा 20 के तहत भूमि को आरक्षित वन के रूप में अधिसूचित किया गया था, लेकिन इस अदालत के समक्ष अपील में प्रतिवादियों ने दावा किया कि वे भूमि के कब्जे में थे और उन्होंने सिरदारी अधिकार हासिल कर लिए थे। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उन्मूलन अधिनियम के संदर्भ में, राज्य भूमि का स्वामी है और प्रतिवादी, भले ही वे सरदार हों, फिर भी कार्यकाल धारक होंगे। यह भी माना गया कि समेकन प्राधिकरणों के पास वन अधिनियम की धारा 20 के तहत अधिसूचना के पीछे जाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

" 7. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि एक व्यक्ति जो भूमि पर कब्जा कर रहा था

सिरदार को उन्मूलन के तहत स्वामित्व अधिकार नहीं दिए गए थे । वह एक कार्यकाल–धारक थे और स्वामित्व अधिकार निहित थे। राज्य के साथ। उच्च न्यायालय, इसलिए, पेटेंट त्रुटि में गिर गया यह मानते हुए कि सरदारों के रूप में उनकी स्थिति के आधार पर उत्तरदाताओं वे जमीन के मालिक थे। राज्य का स्वामी होने के नाते उन्मूलन अधिनियम के तहत भूमि, यह जारी करने में उचित था अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना।

XX XX

10. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वन निपटान अधिकारी के पास है दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ और उसका आदेश अपील के अधीन है और कोड अपने आप में और घोषणा करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया शामिल है और एक आरक्षित वन को अधिसूचित करना। एक बार धारा 20 के तहत एक अधिसूचना भूमि को आरक्षित वन घोषित करने वाला अधिनियम प्रकाशित किया जाता है, फिर सभी किसी भी व्यक्ति द्वारा दावा की गई उक्त भूमि में अधिकार समाप्त हो जाते हैं और अब उपलब्ध नहीं हैं। एक दीवानी अदालत की डिक्री की तरह ही समेकन प्राधिकरणों पर अधिसूचना बाध्यकारी है। उत्तरदाता बहुत अच्छी तरह से वन निपटान अधिकारी के समक्ष भूमि की प्रकृति के बारे में आपत्ति सहित आपत्तियां और दावे दायर कर सकते हैं। उन्होंने अधिनियम के तहत कार्यवाही में अधिकारियों के समक्ष कोई आपत्ति या दावा दायर नहीं किया। अधिनियम की धारा 20 के तहत अधिसूचना के बाद, उत्तरदाता कर सकते हैं। समेकन प्राधिकारियों के समक्ष उक्त अधिसूचना पर कोई आपत्ति नहीं उठाई है। समेकन अधिकारी उस अधिसूचना से बंधे थे जिसने अंतिमता हासिल कर ली थी।

24.श्री खान ने और भी एक तर्क उठाया कि वन अधिनियम की धारा 20 के तहत अंतिम अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई है। वन अधिनियम की धारा 20 का अध्ययन यह नहीं दिखाता है कि एक सुरक्षित वन के लिए, एक अधिसूचना की प्रकाशन की आवश्यकता है, लेकिन इसके तहत ऐसी अधिसूचना की प्रकाशन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। इसलिए, यदि वन अधिनियम की धारा 20 के तहत अधिसूचना जारी नहीं की गई है, तो वन अधिनियम की धारा 5 के द्वारा, सरकार या उसके पक्ष से लिखित रूप में किसी भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त करने के खिलाफ प्रतिबंध है। इसलिए, यदि वन अधिनियम की धारा 20 के तहत अधिसूचना जारी नहीं की गई है, तो वन अधिनियम की धारा 5 के द्वारा, सरकार या उस व्यक्ति के पक्ष से जिसमें ऐसा अधिकार प्राप्त था, ऐसे किसी लेखित समझौते के अलावा, किसी भी ऐसे भूमि पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए, ऐसे किसी लेखित समझौते के द्वारा जो सरकार या उसके पक्ष या ऐसे व्यक्ति के पक्ष से किया गया हो। क्योंकि स्थिति ने नहीं की गई थी, इसलिए गाँव सभा ने प्रस्तुति के पक्ष में पट्टा नहीं देने का योग्य नहीं था।

25.मामले में रिपोर्ट किए गए न्याय के रूप में, जिसमें राज्य उत्तराखंड और अन्य बनाम कुमाऊं स्टोन क्रशर, एक तर्क उठाया गया था कि धारा 20 के तहत वन अधिनियम के तहत अधिसूचना प्रकाशित नहीं की गई है, इसलिए धारा 4 के तहत जारी की गई अधिसूचना द्वारा शामिल ज़मीन को वन के रूप में माना नहीं जा सकता है। इस न्यायालय ने इस तर्क को नकारात्मक किया, उत्तर प्रदेश राज्य में यूपी अधिनियम संख्या 23 के द्वारा संशोधित वन अधिनियम की धारा 5 पर निर्भर करते हुए। इसमें कहा गया था कि राज्य द्वारा प्रबंधन धारा 4 के तहत वन अधिनियम के अधिसूचना जारी होने के बाद ही प्रवृत्त होता है और वन अधिनियम की धारा 20 के तहत अधिसूचना की अभाव को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय किया:

145. “इस संबंध में, प्राथमिक रूप से याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा उठाए गए एक तर्क को भी सूचनाकरना आवश्यक है। यह तर्क है कि यूपी सरकार ने 1927 के अधिनियम की धारा 4 के तहत एक स्थान को वन के रूप में स्थापित करने की प्रस्तावना के लिए अधिसूचना जारी की है, लेकिन 1927 के अधिनियम की धारा 20 के तहत कोई अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई है, इसलिए धारा 4 के तहत जारी की गई अधिसूचना द्वारा शामिल ज़मीन को वन के रूप में माना नहीं जा सकता है, ताकि उस क्षेत्र से हो रहे वन्य उत्पाद पर ट्रांजिट शुल्क लगाया जा सके। उपर्युक्त तर्क के संदर्भ में, 1965 के 23 संख्या के यूपी अधिनियम द्वारा 25–11–1965 से

प्रभावी रूप से सम्मिलित धारा 5 को ध्यान में रखना पर्याप्त है। उपर्युक्त यूपी अधिनियम 23 ऑफ 1965 द्वारा धारा 5 को निम्नलिखित प्रभाव से स्थानांतरित किया गया है:

5. वन अधिकारों के उपार्जन पर रोक. धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद, ऐसे क्षेत्र में कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया जाएगा, जिसमें ऐसी अधिसूचना शामिल हो, सिवाय यदि उत्तराधिकार या सरकार या उस व्यक्ति द्वारा किया गया या जिससे ऐसा अधिकार प्राप्त था, या उसके पक्ष से किए गए किसी भी वित्त पर या लेख में अनुमति के अनुसार। ऐसे क्षेत्र में कोई नए खेती के लिए खुला करना या किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, और न कोई पेड़ उसमें काटा जाएगा, छेदा जाएगा, कटा जाएगा, छिला जाएगा, या उससे और किसी भी प्रकार का क्षति किया जाएगा, या उससे वन्य उत्पाद हटाया जाएगा, उसकी छाल या पत्तियां उतारी जाएगीं, या उससे उसी को अन्यथा किया जाएगा, यह सभी ऐसी नियमों के अनुसार होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार की निर्धारित किया जाएगा।

146. धारा 5 स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद किसी भी वन्य उत्पाद को इससे हटाया नहीं जा सकता, सिवाय यदि राज्य सरकार द्वारा इसके संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार। इस प्रकार, धारा 4 के तहत अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार प्रबंधन होता है और इस प्रकार प्रस्तुत करने वालों का तर्क है कि क्योंकि धारा 20 के तहत कोई अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई है, इसलिए उन्हें 1978 के नियमों द्वारा प्रबंधित नहीं किया जा सकता है, यह स्वीकृत नहीं किया जा सकता।

26. इस सुनिश्चित न्याय में, जिसे 'प्रह्लाद प्रधान और अन्य बनाम सोनू कुम्हार और अन्य' के रूप में रिपोर्ट किया गया है, इस न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड में प्रविष्टियों पर आधारित स्वामित्व के तर्क को खारिज किया। न्यायालय ने यह बताया कि राजस्व रिकॉर्ड संपत्ति का शीर्षक नहीं प्रदान करता है, और न वे किसी भी शीर्षक पर कोई पूर्वाभासी मूल्य रखते हैं।

न्यायालय ने निम्नलिखित रूप से निर्णय किया:

“5. प्रतिवादी द्वारा उठाए गए तर्क हैं कि क्योंकि मंगल कुम्हार को 1964 के सर्वे सेटलमेंट के अनुसार सूट संपत्ति में दर्जा किया गया था, इसलिए संपत्ति के अनुरूप उसकी अपनी प्राप्ति थी। इस कहे गए तर्क की कानूनी दृष्टि से ग़लती है क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड्स में प्रविष्टियाँ संपत्ति के शीर्षक को प्रदान नहीं करती हैं, और न ही उनके पास शीर्षक पर कोई पूर्वाभासी मूल्य होता है। ये केवल उस व्यक्ति को सक्षम करती हैं जिसके लाभ में उत्परिवर्तन दर्ज है, ताकि वह संबंधित भूमि के लिए भूमि कर भर सके। इस परिणामस्वरूप, बस इसलिए कि 1964 के सर्वेक्षण निपटान में मंगल कुम्हार का नाम संपत्ति के अनुरूप के दर्जे किरायेदार के रूप में था, यह उसे संपत्ति के अनुरूप के एकमात्र और विशेष मालिक नहीं बना देता।

27) फसली वर्ष 1395 से 1400 तक की छह वार्षिक खतौनी का आशय यह है कि भूमि वन अधिनियम के अनुसार आरक्षित वन के रूप में हस्तांतरित की जाती है। ऐसा राजस्व रिकॉर्ड खसरा नंबर 1576 के संबंध में है। यह केवल 1394 फसली से 1395 फसली की अवधि के राजस्व रिकॉर्ड में है, पट्टेदारों के नाम का उल्लेख मिलता है लेकिन बिना किसी आधार के। राजस्व रिकॉर्ड स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है। इसलिए, भले ही पट्टेदार

का नाम राजस्व रिकॉर्ड में उल्लेख किया गया हो, लेकिन इस तरह की प्रविष्टि के बिना वन अधिनियम के तहत अनुध्यात पट्टे के निर्माण के सहायक दस्तावेज अप्रासंगिक हैं और गाँव सभा के पट्टेदार के रूप में पट्टेदार के कब्जे में होने का दावा की गई 12 बीघा भूमि पर कोई अधिकार, स्वामित्व या ब्याज पैदा नहीं करते हैं।

28)उच्च न्यायालय ने समेकन अधिनियम के तहत पट्टेदारों द्वारा दायर आपत्तियों और वन विभाग की आपत्तियों का भी उल्लेख किया था ।उच्च न्यायालय द्वारा यह माना गया कि चूंकि वन विभाग द्वारा पहले कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई थी, इसलिए,समेकन अधिनियम की धारा 49 द्वारा आपत्तियों पर रोक लगा दी जाएगी। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया ऐसा निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत है। एक क़ानून के तहत प्रकाशितअधिसूचना के आधार पर भूमि वन विभाग में निहित है। यह पट्टेदार ही था जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित समझौते के आधार पर वन भूमि पर स्वामित्व का दावा करना था, लेकिन लिखित रूप में ऐसा कोई समझौता प्रस्तुत नहीं किया गया है। अत: केवल राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रविष्टि के आधार पर पट्टाधारक किसी भी अधिकार का हकदार नहीं होगा।

29)इस पर विचार करते हुए, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय का आदेश कानून में नहीं बना रह सकता है।इसी बात को एतद्द्वारा अलग रखा गया है। यह अपील स्वीकृत की जाती है। समेकन उप निदेशक द्वारा 8.7.2004 को दिनांक आदेश पुनः स्थापित किया जाता है।

अपील की अनुमति दी गई।

हिन्दी रुपांतरणकर्ता

(शोआ मंसुर)
प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो के
द्वितीय अति. न्यायाधीश,बिलासपुर, छ.ग.